

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

अ. नं. ३ (१९८३) बनाम अ. नं. ३ (१९८३)

धारा 111-128 किस्म 570 पाठ

प्र० सं० 55/2017

14-3-17

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 24-4-17 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

24.4.17

पत्रावली पेश समयपत्र  
उपस्थित/प्रीतानीन अधिकार जी  
शा. नं. ११५२२६, पत्रावली  
दिनांक 24.4.17 को पेश है।

20/4  
अदेश से पेश

गुलशरी  
पेश

17/5/17

पत्रावली व्याप आफरे द्वार / क्लेस कोर्ट में प्रस्तुत /  
अर्धी उपस्थिति / विपक्षी संख्या 7 उपस्थित / दोष  
विपक्षी वाद सामील करु / रुक कर कावाक लगाने / विपक्ष  
विपक्षी संख्या 1 से 6 तक डे लि खिलाफ एक्स पारी / अलग गे.  
पत्रावली का अर्थना पत्र स्वीकार / निर्णय एक्स से लिखा जाइर  
संलग्न विपक्ष / पत्रावली बैकल शुमार होइर नंबर से इफेरी

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार - 2017  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, केम्प कोर्ट - सुवाणा  
पीठासीन अधिकारी- राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 55/2017

1. मूलचन्द पिता गणपत लाल खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड, भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. गणपत पिता नानुराम खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड भीलवाडा।
2. लादु पिता मगनीराम खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड भीलवाडा
3. बंशीलाल पिता नानुराम खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड भीलवाडा
4. आशा पत्नि रमेश खटीक, निवासी मास्टर कोलोनी हनुमान मन्दिर के पास वाली गली दादा बाडी बगता बाबा रोड, भीलवाडा।
5. दिनेश पिता रामगोपाल बंसल, निवासी-ए-78, विजय सिंह पथिक नगर फ्लेट वाली बिल्डिंग के पास, भीलवाडा मार्फत चेतन मानसिंहका।
6. कल्पना पत्नी चेतन मानसिंहका, निवासी-ए-78, विजय सिंह पथिक नगर फ्लेट वाली बिल्डिंग के पास, भीलवाडा।
7. मुकेश पिता गणपत खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 17.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 10.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ईरास नई, पटवार क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या नई 179 व पुरानी 168 में स्थित आराजी संख्या 3088/7रकबा 00-06 बीघा, आराजी संख्या 3088/3 रकबा 01-11-10 बीघा, कुल कित्ता 02 कुल रकबा 01-17-10 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा धिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 07 उपस्थित व विपक्षीगण संख्या 01 से 06 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ईरास नई पटवार क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा खाता संख्या नई 179 व पुरानी 168 में स्थित आराजी संख्या 3088/7रकबा 00-06 बीघा, आराजी संख्या 3088/3 रकबा 01-11-10 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 01-17-10 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/- अक्षरे दौ सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

  
(राजलक्ष्मी गहलोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा